

16-09-2014

आरोपी धरमसिंह की ओर से अधिवक्ता श्री विजय मरकाम ने अर्थदण्ड राशि 1500 /— रसीद बुक क्रमांक 686 / 24 / 16.09.2014 से अदा की गयी।

प्रकरण में आरोपी को उपजेल बैहर से रिहा किये जाने बाबद् ज्ञापन जारी किया जावे।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाकर नस्ती को विधिवत् अभिलेखागार दाखिल किया जावे।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर